भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2566

दिनांक 04 अगस्त 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क

†2566. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अप्रैल 2026 में बाड़मेर जिले में जी.पी.एस. आधारित समन्वय और डिजिटल भुगतानों के माध्यम से स्वापक पदार्थों और विस्फोटकों की सीमा पार तस्करी में शामिल अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ (ड्रग) तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बाड़मेर में ऐसे खतरों से निपटने के लिए तैनात स्वापक पदार्थ-विरोधी अवसंरचना और तैनात कार्मिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर जब्त किए गए स्वापक पदार्थों की कुल मात्रा कितनी है और दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी है तथा क्या इस संबंध में राजस्थान के सीमावर्ती गांवों का कोई भेद्यता आकलन किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने सीमा पार स्वापक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राजस्थान सीमा पर समर्पित एंटी-ड्रोन और स्वापक पदार्थ तकनीक तैनात करने की स्वीकृति दी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने जानकारी दी है कि दिनांक 07.04.2026 को बाड़मेर के सदर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में, गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और राजस्थान के एटीएस ने स्थानीय पुलिस की मदद से एक 'इको' गाड़ी में गुजरात जा रहे दो आरोपियों को पकड़ा था। उनके पास से कुल 4,980 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान के एक व्यक्ति से संपर्क

करके यह मेथाम्फेटामाइन खरीदी थी और दिनांक 01.04.2026 को 'तालाब के पार' और 'बन्ने की बस्ती' चौकियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक जगह से यह खेप प्राप्त की थी। वे इस प्रतिबंधित सामान को 'इको' गाड़ी में गुजरात में अपने संपर्क को सप्लाई करने के इरादे से ले जा रहे थे। इसके बाद, दिनांक 07.04.2026 को सदर पुलिस स्टेशन में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला संख्या 85 दर्ज किया गया था।

(ख): राजस्थान के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 12.03.2025 के स्थायी आदेश संख्या 06/2025 के अनुपालन में, राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया है। सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में अलग-अलग एएनटीएफ चौकियां स्थापित की गई हैं और इन चौकियों पर वाहन भी तैनात किए गए हैं।

(ग): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2024 के संबंध में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2022-2024 के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल मात्रा इस प्रकार है: -

वर्ष	जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा		
	किग्रा.	संख्या	लीटर
2022	155161.550	684188	15.800
2023	242769.223	427971	5596.990
2024	205244.958	953187	293.570

स्रोत: एनसीआरबी

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2024 के लिए प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-2024 के दौरान राजस्थान-पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या इस प्रकार है: -

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2566, दिनांक 04.08.2026

क्र.सं.	जिले	2022	2023	2024
1	अनूपगढ़	0	157	173
2	बाड़मेर	127	122	125
3	बीकानेर	217	325	358
4	गंगानगर	393	369	381
5	जैसलमेर	19	40	38

(घ): राजस्थान सीमा पर ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं।
